रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-7 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 317] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 9, 1984/आषाढ़ 18, 1906
No. 317] NEW DELHI, MONDAY, JULY 9, 1984/ASADHA 18, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1984

का० आ० 494 (अ)—औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 33-ग की उप-धारा (1), (2), (3), और (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) की 18 जुलाई, 1979 की अधिसूचना (संख्या एफ़म 19012/3/78-ए० पी० सी०) का अतिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पहली जुलाई, 1984 से एक आयुर्वेदिक सिद्ध और यूनानी तकनीकी सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

धारा 33 ग की उप-धारा (2) के खंड (1) से (4) के अधीन पदेन सदस्य	1. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, भारत सरकार 2. औषध नियंत्रक (भारत) 3. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का काम देखने वाला मुख्य अधिकारी 4. निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कलकत्ता
धारा 33 ग की उप-धारा (2) के खंड (5) के अधीन मनोनीत	श्री आई० आर० मेहता, सरकारी विश्लेषक एस० एम० एस० मेडिकल कालेज, जयपुर
धारा 33 ग की उप-धारा (2) के खंड (6) के अधीन मनोनीत	प्रोफेसर बी० ए० राजी, अध्यक्ष (सेवा निवृत्त), वनस्पति विज्ञान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय, 28/2 डिस्पेन्सरी रोड, कलासी पलायम, बंगलौर
धारा 33 ग की उप-धारा (2) के खंड (7) के अधीन मनोनीत	प्रो० आर० ए० कुरुप, अध्यक्ष, रसायन शास्त्र विभाग, केरल विश्वविद्यालय, त्रिवेन्द्रम
धारा 33-ग की उप-धारा (2) के खंड (8) के अधीन मनोनीत	कुमारी सयिदा साताकत, खास और आयुध प्रशिक्षणशाला नजदीक पोलीटेक्नीक, जकार्ता-2 2. श्री प्रजापति जोशी, प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, रानीखेत, उ० प्र०

	3. हकीम एम० कयामुद्दीन, जे-16 गवर्नमेंट क्वार्टर्ज, श्रीनगर
	4. डा० पी० त्यागराजन, 58, अय्यायु नायडु स्ट्रीट शेनाय नगर, मद्रास- 30
धारा 33 ग की उप धारा 2 के खंड (9) के अधीन मनोनीत	डा० एन० जी० बन्दोपाध्याय, प्रोफेसर द्रव्यगुण, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कालेज, पटना
धारा 33ग की उप-धारा 2 के खंड (10) के अधीन मनोनीत	हकीम एम० तैब, प्रोफेसर, उल्म- उल-आदविया विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
धारा 33ग की उप-धारा 2 के खंड (11) के अधीन मनोनीत	डा० वी० राम दास, लेक्चरर गवर्नमेंट सिद्ध मेडिकल कालेज, पालायमकोट
धारा 33-ग की उप धारा (2) के खंड (12) के अधीन मनोनीत	1. हकीम फैयाज आलम, निदेशक इजलाही दवाखाना, फैंसी महल मुहम्मद अली रोड, बम्बई।
	2 डा० मेथुन चेजीयन हरखानाया फार्मास्युटिकल्ज, 1014, ईस्ट गोरीपुरम, कालूर।
	3. वैद्य नानक चन्द्र शर्मा, आयुर्वेदाचार्य और आयुर्वेद बृहस्पती, कायामया आयुर्वेदिक फार्मास्युटिकल वर्क्स (प्राईवेट) लिमिटेड, 8/3552 रैगरपुरा करोलबाग, नई दिल्ली।
धारा 33-ग की उप धारा (2) के खंड (13) के अधीन मनोनीत	1. वैद्य बी० डी लिंगुणा, 143, मराय काले खां, निजामुद्दीन, नई दिल्ली
	2. डा० जे० डी० सन्देरवाला, डाकघर कानागाल, तालुक हुक्करी, जिला बेलगाम, कर्नाटक
	3. डा० वी० रघुपती, एल० आई० एम० अम्बासमुत्थरम, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, पदेन सदस्य को उक्त बोर्ड के अध्यक्ष और वैद्य एस० के० मिश्रा सलाहकार आयुर्वेद और सिद्ध को सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

[सं० के० 11022/1/1982 ए० पी०सी०]

पी० के० उमाशंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 1984

S.O. 494 (E):—In exercise of the powers conferred by sub-section (1), (2), (3) and (7) of section 33C of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940) and in supersession of the notification of the Government of India, Ministry of Health and Family Welfare (Department of Health) (No. X. 19012/3/78-APC), dated 18th July, 1979, the Central Government hereby constitutes, with effect from 1st July, 1984, an Ayurvedic, Siddha and Unani Drugs Technical Advisory Board consisting of the following members, namely: –

Ex-officio members under clauses (i) to (iv) of sub-section (2) of section 33C :	1. The Director General of Health Services of Government of India.
	2. The Drugs Controller (India)
	3. The principal officer dealing with Indian systems of medicine in the Ministry of Health and Family Welfare.
	4. The Director, Central Drugs Laboratory, Calcutta.
Nominated under clause (v) of sub-section (2) of section 33C :	Sh. Y.R. Mehta, Government Analyst, S.M.S. Medical College, Jaipur.
Nominated under clause (vi) of sub-section (2) of section 33C:	Prof. B.A. Razi, Head (Retd.), Department of Botary, Mysore University, 28/2 Dispensary Road, Kalasipalayam, Bangalore.
Nominated under clause (vii) of sub-section (2) of section 33C :	Prof. R.A. Kurup, Head, Department of Chemistry, Kerala University, Trivandrum.
Nominated under clause (viii) of sub-section(2) of section 33C :	1. Kumari Savita Satakopan, Food & Drugs Laboratory, Near Polytechnic, Baroda-2
	2. Sh. Prajapati Joshi, Managing Director, Indian Medicine Pharmaceuticals Corporation Limited, Ranikhet, U.P.
	3. Hakim M. Qayamuddin, J-16, Government Quarters, Srinagar.
	4. Dr. P. Thyagarajan, 58, Ayyayu Naidu Street, Shenoy Nagar, Madras-30
Nominated under clause (ix) of sub-section (2) of section 33C:	Dr. N.G. Bandopadhya, Prof. of Daryvaguna, Government Ayurvedic College, Patna.
Nominated under clause (x) of sub-section (2) of section 33C:	Hakim M. Taiyab, Prof. Department of Ilm-UL-Advia, Aligarh Muslim University, Aligarh.

Nominated under clause (xi) of sub-section (2) of section 33C:	Dr. V. Ram Das, Lecturer, Government Siddha Medical College, Palayamkottai.
Nominated under clause (xii) of sub-section (2) of section 33C:	1. Hakim Faiyaz Alam, Director, Islahai Dawakhana Fancy Mahal, Mohd. Ali Road, Bombay. 2. Dr. Nedunchezhiyan, Herbalaya Pharmaceuticals, 1014, East Gowripuram, Karur. 3. Vaidya Nanak Chand Sharma, Ayurvedacharaya and Ayurved Brahaspati, Kayamaya Ayurvedic Pharmaceutical Works (Pvt.) Ltd. 8/3552 Regar Pura Karol Bagh, New Delhi.
Nominated under clause (xiii) of sub-section (2) of section 33C:	1. Vaidya B.D. Triguna, 143, Sarai Kale Khan, Nizamuddin, New Delhi. 2. Dr. J.D. Sanderwala, At & Post Office Kanagale, Taluka Hukkeri, Distt. Belgaum, Karnataka. 3. Dr. V. Raghupati, L.I.M. Ambasamudram, Distt. Tirunelveli, Tamil Nadu.

2. The Central Government hereby appoints the Director General of Health Services, an ex-officio member, as Chairman and Vaidya S.K. Mishra, Adviser (Ayurveda & Siddha,) as Secretary respectively of the said Board.

[No. K. 11022/1/82—A.P.C.]

P. K. UMASHANKAR, Addl. Secy.

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984
PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064